प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 10.06.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री उमाशंकर त्रिपाठी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 10.06.2026 को मु0अ0सं0 229/2026 धारा 65(1), 115(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजन पुत्र फूलचन्द्र निवासी बड़गो थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बड़गो मोड़ के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 07.06.2026 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने तथा वादिनी के पुत्र को डन्डे से मारने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 10.06.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष बखिरा श्री उमाशंकर त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 अंगद यादव, रि0का0 नवीन कुमार सिंह।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 600 ग्राम अवैध गाँजा व बिक्री के 730रु0 के साथ अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री हरिकेश भारती*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्ता नाम पता रिंकी पत्नी अमन निवासी दासडीह थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर को दासडीह चौराहे के पास से 600 ग्राम अवैध गाँजा व बिक्री के 730रु0 के साथ आज दिनाँक 10.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
1. रिंकी पत्नी अमन निवासी दासडीह थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0स0 165/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-
600 ग्राम अवैध गाँजा व बिक्री।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राधेश्याम, हे0का0 विजय कुमार सिंह, का0 रोहित कुमार, का0 ओमप्रकाश चौरसिया, म0का0 शिवांगिनी पाठक।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में संतकबीरनगर का उत्कृष्ट प्रदर्शन, माह मई की रैंकिंग में प्रदेश में प्राप्त किया दूसरा स्थान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर पुलिस को ***माह मई 2026 की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद संतकबीरनगर को प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है*** । महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये है कि थाने पर उपस्थित पीड़ित / शिकायतकर्ता के साथ अच्छा तालमेल एवं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित CM Dashboard की नवीनतम रैंकिंग में जनपद संतकबीरनगर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जनपद प्रशासन की प्रभावी कार्यशैली, सतत मॉनिटरिंग तथा शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। सीएम डैशबोर्ड में सुधार, ई- साक्ष्य एप के माध्यम से साक्ष्यों को अपलोड करने व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिया गया तथा पुलिस कार्यालय पर आने वाले आगंतुकों के साथ सम्मानजनक, गरिमापूर्ण व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण करने, जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल कार्यवाही करने, जनपद में घटित विभिन्न आपराधिक घटनाओं व पंजीकृत अभियोगों की लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध रुप से गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही व जागरुक महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु निर्देशित करते हुए, बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की सकुशल बरामदगी, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्यवाही आदि के लिए निर्देशित किया गया। चोरी, लूट, नकबजनी, छिनैती व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके। CM डैशबोर्ड के माध्यम से शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी की जाती है। ***माह अप्रैल 2026 में जनपद संतकबीरनगर की रैंकिंग 17 थी जिसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए माह मई 2026 में जनपद संतकबीरनगर पुलिस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो जनपद प्रशासन के सामूहिक प्रयासों और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यप्रणाली का प्रमाण है*** । जनपद प्रशासन ने इस उपलब्धि का श्रेय सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम भावना, परिश्रम और जनसेवा के प्रति समर्पण को दिया है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया है। यह उपलब्धि जनपद संतकबीरनगर के सुशासन, पारदर्शिता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5263 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 5997 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत दुधारा से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना मे घायल 03 व्यक्तियो (1.संजीव कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र 2. भनी कुमार पुत्र गिरिश ग्राम बाने थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर 3. अजय राजभर पुत्र किशोरी राजभर ग्राम सिरसिया चौबे थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया ,सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्तियो को एम्वुलेंस की सहायता से चिकित्सालय भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।
पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री गंगेश्वर पासवान, का0 अभिनव, हो0गा0 प्रदीप पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 270 वाहनों से 3,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 270 वाहनों से 3,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 02 अभियोगों में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 236/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस व मु0अ0स0 238/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तगण नाम पता 1. सुग्रीव मौर्य पुत्र छांगुर मौर्य निवासी ग्राम बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर संबंधित मु0अ0सं0 236/2026 उपरोक्त व 02. देवेन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी ग्राम बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर संबंधित मु0अ0सं0 238/2026 उपरोक्त को आज दिनाँक 10.06.2026 को बाराखाल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 08.06.2026 को मु0अ0सं0 236/2026 उपरोक्त के वादी श्री नितेश यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी बाराखाल थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर व दिनांक 09.06.2026 को मु0अ0सं0 238/2026 उपरोक्त के वादी अनिल मौर्या पुत्र जयराम मौर्या निवासी बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर तहरीर दिया गया कि बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी जिसमें क्रमशः पवन यादव व सुग्रीव को प्राणघातक गम्भीर चोटें आने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों को आज दिनांक 10.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 मुरली मनोहर, रि0का0 सन्तोष तिवारी।